।। विधान ।।

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

1. नाम : इस संस्था का नाम उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ होगा।

2. उद्देश्य

(1) नियुक्ति विभाग विज्ञप्ति संख्या 4108/11/बी0 162–59 दिनांक 21 सितम्बर 1961 वर्णित उद्देश्य तथा नियमों का पालन करना।

(2) लेखपालों को जनता का सच्चा सेवक और सरकार का विश्वास पात्र बनना और उनमें राष्ट्रीय एवं अनुशासन की भावना उत्पन्न करना।

(3) लेखपालों में एकता तथा प्रेम की वृद्धि एवं संगठित करना तथा अधिकारी वर्ग के साथ सम्मानपूर्ण सच्चे सम्बन्ध रखना।

(4) लेखपालों की आर्थिक, व्यवहारिक, सामाजिक एवं राजकीय सेवा से सम्बन्धित प्रत्येक प्रकार की उन्नति के लिए प्रयास करना तथा नैतिक स्तर उच्च बनाना।

(5) लेखपालों के समस्त दुःख, कष्ट और कर्तव्य पालन में उत्पन्न समस्त कठिनाइयों को दूर करना।

(6) भारतीय संविधान के अन्तर्गत लेखपालों के सामूहिक हितों तथा अधिकारों की रक्षा के प्रयत्न करना।

(7) लेखपालों की उपयोगिता तथा सेवा भाव को बढ़ाना और सहयोगिता को प्रोत्साहन देना।

(8) उन समस्त कार्यों को करना जिनसे लेखपालों का मान हो, सराहना हो और इस संस्था के सदस्यों में आत्म सम्मान पैदा हो।

(9) संघ न तो कोई ऐसा कार्य करेगा और न अपनी ओर से ऐसा कार्य करने देगा जिससे कि सरकार द्वारा संघों के पथ प्रदर्शन के लिए दिये गये आदेशों का पूर्णतः या अंशतः उल्लंघन हो।

3. **प्रधान कार्यालय** : आलमबाग रोडवेज बस स्टेशन के सामने सुजानपुरा, ओमनगर, लखनऊ।

4. **सदस्यता शुल्क** : जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बतौर लेखपाल है, इस संस्था को 600/– रू. वार्षिक सदस्यता शुल्क देने पर सदस्य बन सकता है।

5. **साधारण सभा**: इस संघ की साधारण सभा का निर्माण निम्न प्रकार होगा:–

संविधान संशोधन समिति के प्रस्ताव संख्या–3 के क्रम में

आम सभा द्वारा स्वीकृत दिनांक 22.02.97।

अ. भूतपूर्व निर्वाचित प्रान्तीय पदाधिकारी जो उ० प्र० लेखपाल संघ के प्रति सक्रिय हैं तथा लेखपाल पद पर कार्यरत हैं।

ब. प्रत्येक जिले से निर्वाचित अध्यक्ष एवं मंत्री।

स. प्रत्येक तहसील से निर्वाचित अध्यक्ष एवं मंत्री।

द. निवर्तमान प्रान्तीय पदाधिकारी।

(जिला संघ)

साधारण सभा : (अ) जिले की साधारण सभा का निम्नवत् निर्माण होगा :
जनपद में सरकारी सेवा में बतौर लेखपाल कार्यरत है व उ० प्र० लेखपाल संघ का निर्धारित वार्षिक शुल्क निरन्तर अदा किया है, से मिलकर जिले की साधारण सभा का निर्माण होगा।
देंखे :– आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव स्वीकृत दिनांक 22.02.97।

(ब) साधारण सभा का कोरम 25 प्रतिशत कम से कम पर होगा।

स्पष्टीकरण : मासिक शुल्क अदायगी अनिवार्य होगी। जिले के निर्वाचन के समय तहसील उप शाखाओं की पूर्ण बेवाकी तथा तहसील के निर्वाचन के समय लेखपाल वार बेबाकी आवश्यक होगी।

कार्यकारिणी : जिला संघ के समस्त पदाधिकारी जिनकी संख्या धारा 8 के अनुसार होगी कार्यकारिणी के सदस्यों होंगे तथा रा० नि० सर्किल से निर्वाचित एक–एक प्रतिनिधि से कार्यकारिणी का गठन होगा।

(द) साधारण सभा का कोरम सम्पूर्ण सदस्यों की संख्या का 1/4 होगा।

6. **सम्बन्ध :** तहसील संघ प्राप्त सदस्यता शुल्क का आधा अपने पास रखेगा। आधा भाग जिला संघ के पास देगा। जिला संघ एकत्रित सम्पूर्ण सदस्यता शुल्क में से 40 प्रतिशत उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ को भेजकर सम्बन्ध स्थापित रखेगा।
देंखे– आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव स्वीकृत दिनांक 22.02.97 ।

7. **कोष :** लेखपाल संघ का कोई भी धन बिना रसीद के प्राप्त नहीं किया जायेगा और कोषाध्यक्ष के रजिस्टर में जमा किये बिना कोई धन व्यय नहीं किया जा सकेगा। कोषाध्यक्ष के पास अधिक से अधिक 1000/– रू. जमा रह सकेंगे। इससे अधिक धन सेविंग बैंक या संघ द्वारा स्वीकृत अन्य किसी बैंक में जमा किया जायेगा। महामंत्री अग्रिम धन सभा के कार्य संचालन हेतु 5000/– रू. तक रख सकता है। तहसील मंत्री 500/– रू0 तथा जिला मंत्री 1000/– रू. रख सकता है।

देंखे– संशोधन समिति के प्रस्ताव सं0 4 (111) आम सभा द्वारा स्वीकृत दिनांक 22.02.97।

8. पदाधिकारी : नियम 5 के अनुसार साधारण सभा से निम्नलिखित पदाधिकारी बहुमत से निर्वाचित होंगे।

1. प्रान्तीय : अ. अध्यक्ष ब. उपाध्यक्ष (तीन) स. महामंत्री द. मंत्री (एक या अधिक) मण्डलवार मण्डलीय मंत्री य. संगठन मंत्री (तीन)

र. कोषाध्यक्ष ल. आय–व्यय निरीक्षक (ऑडीटर) एक या अधिक

स्पष्टीकरण : मण्डलीय मंत्री का मनोनयन का पूर्ण अधिकार प्रान्तीय अध्यक्ष व महामंत्री को होगा।

देंखे :– आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव स्वीकृत दिनांक 22.02.97।

2. जिला व तहसील : अ. अध्यक्ष

ब.उपाध्यक्ष (एक वरिष्ठ व एक कनिष्ठ)

स. मंत्री

द. उप मंत्री

य. कोषाध्यक्ष

र. आय–व्यय लेखा निरीक्षक।

नोट : 1. आय–व्यय लेखा निरीक्षक कार्यकारिणी समिति के सदस्य नहीं होगे।

9. प्रान्तीय कार्यकारिणी समिति का निर्माण :

1. साधारण सभा से निर्वाचित पदाधिकारी से।

2. प्रत्येक जिले के जिला मंत्री/संयोजक से कोरम एक चौथाई होगा।

10. अनुमानित आय–व्यय का बजट :

साधारण सभा में लेखपाल संघ का अनुमानित आय–व्यय निश्चित किया जायेगा कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी उसी के अनुसार व्यय करेंगे।

नोट : यदि कार्यकारिणी समिति साधारण सभा की स्वीकृति से बाहर व्यय करना आवश्यक समझे तो अपने दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति की आशा पर व्यय कर सकती है किन्तु वर्ष में एक बार।

11. अधिवेशन : अ. वार्षिक अधिवेशन।

ब. विशेष अधिवेशन।

1.वार्षिक अधिवेशन कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित दिनांक व

स्थान पर होगा।

2. विशेष अधिवेशन इन दशाओं में बुलाया जाऐगा–

अ. साधारण सभा के एक चौथाई सदस्यों की मांग पर।

ब. कार्य समिति की स्वीकृति पर एवं प्रान्तीय सरकार को पूर्व सूचना देकर।

12. अधिकार व कर्तव्य : कार्यकारिणी समिति संघ के समस्त प्रबन्ध की उत्तरदायी होगी जिसमें कोष का सुरक्षित रखना भी होगा। हर तीसरे मास कार्यकारिणी की बैठक गम्भीर विषयों पर विचारार्थ होगी।

13. अध्यक्ष के कर्तव्य : बैठकों में अध्यक्ष का आसन ग्रहण करना और समस्त कार्यवाही नियमानुकूल कराना और यह भी देखना कि संघ का कार्य नियमानुसार चल रहा है या नहीं तथा प्रत्येक सभा की कार्यवाही अनुशासन से चलाना। प्रान्तीय नियमावली में लिखे उद्देश्यों के अनुसार नीति निर्धारित कराना और उसका पालन कराना।

14. उपाध्यक्ष के कर्तव्य : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का पालन करना।

15. महामंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. संघ के कार्यों के लिये महामंत्री उत्तरदायी होगा, कार्य समिति के लिए निश्चित आदेशों के अनुसार कार्य करना तथा दिये हुए उद्देश्यों की पूर्ति जो कि नियमावली में हैं, संचालन करना।
2. समस्त अधिवेशनों को बुलाने का उत्तरदायित्व महामंत्री का होगा।
3. समस्त तहसील संघ, जिला संघ से सम्पर्क स्थापित करना और उनका सहयोग प्राप्त करना।
4. वार्षिक रिपोर्ट एवं अनुमानित आय–व्यय का ब्यौरा तैयार करना।
5. प्राप्त धन को कोषाध्यक्ष के पास भेजना। आय–व्यय का हिसाब तैयार तथा जांच करके अध्यक्ष के समक्ष रखना। समस्त वैतनिक तथा अवैतनिक कर्मचारियों के द्वारा कर्तव्यों का पालन करना।

16. मंत्री के कर्तव्य : महामंत्री की अनुपस्थिति में महामंत्री के समस्त कर्तव्यों का पालन करना तथा उसकी उपस्थिति में उनकी सहायता करना।

17. कोषाध्यक्ष के कर्तव्य :

1. कोषाध्यक्ष समस्त धन के लिए उत्तरदायी होगा।
2. प्राप्त धन की रसीद देना, दैनिक आय–व्यय का हिसाब महामंत्री

को भेजना।

3. संघ के धन को सेविंग बैंक द्वारा स्वीकृत बैंक में सुरक्षित रखना।

18. अविश्वास का प्रस्ताव:

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के लिए किसी भी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्य समिति का एक सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर सकता है, जिसका निर्णय सर्वप्रथम होने वाली कार्य समिति की बैठक में होगा। यदि उपस्थिति दो तिहाई सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करें तो वह पदाधिकारी अपने पद से हटा दिया जायेगा। कार्यकारिणी समिति बहुमत से किसी भी रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकती है। अविश्वास का प्रस्ताव एक बार रद्द होने पर उस पदाधिकारी के विरूद्ध 6 माह तक पुनः नहीं उठाया जा सकता है।

19. अनुशासन की कार्यवाही:

1 किसी भी सदस्य के विरूद्ध संध के नियम व उप नियम के उल्लंघन भ्रष्टाचार अथवा संस्था को बदनाम करने वाली किसी भी लिखित शिकायत के आने पर महामंत्री अथवा अध्यक्ष द्वारा उस मामले की जांच कराई जायेगी। आरोप सिद्ध होने पर उस सदस्य को जिसके विरूद्ध आरोप लगाया गया है, सदस्यता से निलम्बित अथवा वंचित किया जा सकता है और राज्य सरकार का उसके विरूद्ध आरोप लगाया गया है, सदस्यता से निलम्बित अथवा वंचित किया जा सकता है और राज्य सरकार को उसके विरूद्ध कार्यवाही के हेतु सिफारिश की जा सकती है। संस्था का कोई भी पदाधिकारी 6 माह तक अनवरत प्रोन्नति पद पर कार्यरत रहने की दशा में स्वमेव पदच्युत समझा जायेगा तथा लेखपाल सेवा निवृत्त होने की तिथि तक ही पदाधिकारी रहेगा।

(2) संस्था की सभी शाखाए/उप शाखाए अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष 14 नवम्बर को स्थापना दिवस के रूप में मनायेगी।

20. विधान एवं उप नियमों का संशोधन:

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के विधान एवं उप नियमों में संशोधन आवश्यकतानुसार साधारण सभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से होगा जिसकी सूचना प्रादेशिक सरकार को स्वीकृति हेतु दी जायेगी।

21. धारा–21: संस्था के पदाधिकारियों के निर्वाचन का समय अर्थात कार्यकाल 2 वर्ष का ही होगा। उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–4, संख्या–1

E.R/79–का–4–2000 लखनऊ, दिनांक 27 मार्च, 2001 (उत्तर प्रदेश सेवा संघो की मान्यता) (प्रथम संशोधन नियमावली, 2001 के अनुसार)

हस्ताक्षर
31.10.63
उत्तर प्रदेश सरकार

।। तहसील संघ ।।

साधारण सभा :

(अ) जो व्यक्ति बतौर लेखपाल सरकारी सेवा में हो और नियमानुसार 600/–रू0 (यथा संशोधित) वार्षिक चन्दा देकर संघ का सदस्य हो चुका हो वह साधारण सभा का सदस्य होगा।

(ब) तहसील उपशाखा की साधारण सभा का निर्माण (पूर्ववत) तहसील के सभी कार्यरत लेखपालों से होगा।

कार्यकारिणी : तहसील संघ के समस्त पदाधिकारी जिनकी संख्या धारा 8 के अनुसार होगी तथा प्रत्येक राजस्व निरीक्षक सर्किल से निर्वाचित दो–दो प्रतिनिधियों से कार्यकारिणी का गठन होगा।

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ
नियमावली द्वारा संचालित संविधान की धारा 12 के अनुसार
उप संविधान (मान्यता प्राप्त) नियम की धारा

1. (1) तहसील व जिला स्तर पर संस्था की इकाइयों का नाम जिला स्तर पर शाखा और तहसील स्तर पर उपशाखा होगी तथा यह इकाईयाँ उ०प्र० लेखपाल संघ की शाखा, उपशाखा होगी । पृथक से इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। हर हालत में इनको प्रान्तीय उ० प्र० लेखपाल संघ से सम्बन्ध रखना पड़ेगा।

2. (3) कार्यालय– संस्था का कार्यालय मंत्री की सुविधानुसार जिला व तहसील मुख्यालय पर ही होगा जिसकी सूचना निर्वाचन के उपरान्त उसी समय अथवा एक सप्ताह में दे दी जायेगी।

3. (4) सदस्य– कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में बतौर लेखपाल है वह उ० प्र० लेखपाल संघ का निर्धारित मासिक शुल्क देने पर सदस्य बन सकता है।

(6) (अ) सम्बन्ध– तहसील उपशाखा मासिक सदस्यता शुल्क में से आधा अपने पास रखकर आधा जिला शाखा को भेजकर व जिला शाखा एकत्रित मासिक शुल्क में से 60 प्रतिशत अपने पास रखकर 40 प्रतिशत उ० प्र० लेखपाल संघ को भेजकर सम्बन्ध स्थापित करेगी।

देंखें– संशोधित आम सभा द्वारा स्वीकृत दिनांक 20.02.97

(ब) कोई शाखा उपशाखा धन वसूल करने के पश्चात यदि तीन माह तक अपना धन उ० प्र० लेखपाल संघ को नहीं भेजती है तथा सम्बन्ध स्थापित नहीं करती है तो वह गबन माना जायेगा जिसके विरूद्ध न्यायालय में कार्यवाही की जा सकती है।

(स) कोई भी जिला शाखा अपने अंश के अलावा किसी भी धनराशि को एक माह से अधिक अपने पास नहीं रोकेगी तथा तहसील उपशाखा, जिला शाखा को देय धन समय से भुगतान करेगी और रसीद प्राप्त करेगी।

(द) विशेष परिस्थितियों में जिला शाखा, उपशाखा विशेष चन्दा संस्था हित में एकत्रित कर सकती है, जिसकी सूचना उन्हें प्रान्तीय कार्यालय को देनी होगी।

5. (7) कोष (अ) लेखपाल संघ का कोई भी धन बिना रसीद प्राप्त नहीं किया जायेगा और कोषाध्यक्ष के रजिस्टर में जमा किये बिना कोई व्यय नहीं किया जायेगा।

(ब) उ० प्र० लेखपाल संघ द्वारा भेजी हुई रसीदें ही मान्य होंगी। कोई शाखा, उपशाखा रसीद कहीं नहीं छपवायेगी।

(स) पैरा (अ) के विपरीत आचरण करने पर पदाधिकारी के विरूद्ध सदस्यों की लिखित शिकायत प्रमाणित होने पर गबन अथवा धारा 420 भा0 द0 सं0 का दावा संघ द्वारा दायर किया जायेगा।

(द) धन संग्रह का कार्य समिति में परगना प्रतिनिधियों अथवा तहसील सचिव का होगा। जिनकी संख्या वेतन तिथियों की संख्या के अनुसार ही निर्धारित होगी और एक से अधिक की दशा में शेष का निर्वाचन साधारण सभा में कर लिया जायेगा। संग्रह कर्ता प्राप्त धन यथा शीघ्र प्रतिमाह मंत्री को धन देकर रसीद प्राप्त कर लेंगे।

(य) संस्था के कार्य संचालन हेतु महामंत्री पाँच हजार रूपये (विशेष परिस्थितियों में अधिक हो सकता है) तहसील मंत्री 500/–

व जिला मंत्री 1000/– तथा कोषाध्यक्ष 1000/– अपने पास रख सकते हैं। संघ का समस्त धन डाक घर अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक में उ0 प्र0 लेखपाल संघ के नाम से मंत्री व कोषाध्यक्ष संयुक्त खाता खोलेंगे। पास बुक सदैव कोषाध्यक्ष के पास रहेगी।

6. (5) (अ) जिला की साधारण सभा का निम्नवत निर्माण होगा:
जनपद के सरकारी सेवा में बतौर लेखपाल कार्यरत है व उ0 प्र0 लेखपाल संघ का निर्धारित मासिक शुल्क निरन्तर अदा किया है, जनपद शाखा को प्राप्त संस्था शुल्क का 40 प्रतिशत प्रान्त को देना होगा।

देखें :– आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव स्वीकृत दिनांक 22.02.97।

(ब) तहसील उपशाखा की साधारण सभा का निर्माण तहसील के सभी कार्यरत लेखपालों से होगा।

1. साधारण सभा का कोरम 25 प्रतिशत कम से कम पर होगा।
2. मासिक शुल्क अदाएगी अनिवार्य होगी। जिले के निर्वाचन के समय लेखपाल वार बेबाकी आवश्यक होगी।

7. (8) पदाधिकारी– साधारण सभा में निम्नलिखित पदाधिकारियों का निर्वाचन सर्व सम्मति अथवा बहुमत से होगा।

1.अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष (एक वरिष्ठ व एक कनिष्ठ) 3.मंत्री 4 . उपमंत्री 5. कोषाध्यक्ष 6. लेखानिरीक्षक

स्पष्टीकरण (अ) लेखा निरीक्षक कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होगा।

(ब) लेखा निरीक्षक हर तीसरे माह अपनी निरीक्षण रिपोर्ट कार्यालय को भेजता रहेगा।

(स) लेखा निरीक्षक तहसील उपशाखा व जिला उपशाखा पर क्रमशः चार व तीन प्रतियां बनायेगा और एक–एक प्रति तहसील उपशाखा जिला उपशाखा जिला उपशाखा एवं प्रधान कार्यालय उ0 प्र0 लेखपाल संघ को भेजेगा।

8. (9) (1) कार्यकारिणी– जिला शाखा की कार्यकारिणी में कार्यकारिणी के निर्वाचित पदाधिकारी तथा तहसील शाखाओं के मंत्री एवं प्रत्येक राजस्व निरीक्षक क्षेत्र के एक–एक निर्वाचित सदस्य होगा।

(2) तहसील उपशाखा की कार्यकारिणी में निर्वाचित पदाधिकारी

एवं प्रत्येक राजस्व निरीक्षक क्षेत्र से दो–दो प्रतिनिधि सदस्य होंगें।

(3) राजस्व निरीक्षक क्षेत्र प्रतिनिधि का निर्वाचन साधारण सभा में सम्बन्धित क्षेत्र के लेखपाल सदस्य ही करेंगे।

(4) कार्यकारिणी समिति की बैठक त्रैमासिक बुलायी जायेगी।

9. (10) बजट– साधारण सभा में आगामी वर्ष हेतु अनुमानित आय–व्यय लेखा मंत्री द्वारा बनाकर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा जिसे मूल रूप से अथवा संशोधन उपरान्त साधारण सभा स्वीकृत करेगी।

10. (11) 1. वार्षिक अधिवेशन–कार्यकारिणी द्वारा निश्चित दिनांक एवं स्थान पर होगा तथा कार्यकारिणी, समिति, स्वागत समिति का गठन करेगी।

2. विशेष अधिवेशन– साधारण सभा के 1/4 सदस्यों की मांग पर अथवा कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति पर कभी भी बुलाया जा सकता है।

11. (12) अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. संघ की पूर्ण सत्ता साधारण सभा में निहित है।

2. कार्यकारिणी समिति संघ की व्यवस्था, संचालन सम्बन्धी समस्त कार्यो के प्रति उत्तरदायी होगी जिसमें कोष की सुरक्षा भी सम्मिलित है। गम्भीर एवं महत्वपूर्ण विषयों के विचारार्थ कार्यकारिणी समिति की त्रैमासिक बैठक होगी। प्रान्तीय संघ के प्रत्येक आदेश निर्देश नियम तथा उप नियम का पालन करना कार्यकारिणी समिति का कर्तव्य होगा।

12. (13) अध्यक्ष–कार्यकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना, समस्त कार्यवाही नियमानुकूल करना, यह देखना की संघ का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है अथवा नहीं तथा प्रत्येक सभा की कार्यवाही अनुशासन से चलाना, विधान में लिखे उद्देश्यों की नीति निर्धारित करना और उसका पालन कराना।

13. (14) उपाध्यक्ष–अध्यक्ष की उपस्थिति में उनके बताये अनुसार उनके कार्यो में सहयोग करना एवं अनुपस्थिति में अध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करना।

14. (15) मंत्री– कार्यकारिणी समिति के आदेशों एवं निर्देशों के अधीन संघ के हित, सम्मान तथा सम्पत्ति की रक्षा व वृद्धि एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रत्येक कार्य यथा समय करना तथा उसके सहयोगी व साथियों से कराना। समस्त बैठकों व अधिवेशनों को बुलाकर उनकी कार्यवाही

लिपिबद्ध करके रखना प्राप्त धन कोषाध्यक्ष के पास जमा करना। वार्षिक आय–व्यय का अनुमानित ब्यौरा बनाकर, अपना वार्षिक (गत वर्ष की प्रगति) रिपोर्ट एवं लेखा निरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट सहित साधारण सभा में रखना। संघ के समस्त साथियों से विधानानुसार कर्तव्यों का पालन कराना। कार्यालय सम्बन्धी समस्त नियमित व्यवस्था एवं निर्देशित ढंग से रखना तथा निर्धारित ढंग से खर्च के बिलों का भुगतान करना अथवा कोषाध्यक्ष से कराना तथा कार्यकारिणी की बैठक में आय–व्यय प्रस्तुत करना।

15. (16) उपमंत्री–मंत्री की उपस्थिति में उसके बताये अनुसार सहयोग करना एवं अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करना।

16. (17) कोषाध्यक्ष–कोषाध्यक्ष संघ के समस्त धन का उत्तरदायी होगा। प्राप्त धन के लिए रसीद देना व दिये गये धन की रसीद प्राप्त करना। दैनिक आय–व्यय का लेखा निर्धारित एवं निर्देशित ढंग से तैयार करना तथा प्रति मास मंत्री के समक्ष रखना अथवा प्रतिलिपि बनाकर देना। प्राप्त धन पास बुक में जमा कराना और निकालना। पास बुक अपने पास सुरक्षित रखना। बजट तैयार करने में मंत्री का सहयोग करना।

17. (18) अविश्वास का प्रस्ताव–संघ के किसी भी पदाधिकारी के विरूद्ध कार्यकारिणी का एक सदस्य भी अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है जो सदस्यों के अनुमोदन पर विचारार्थ स्वीकार होगा। जिसका निर्णय कार्यकारिणी समिति की वर्तमान अथवा प्रथम आगामी बैठक में होगा। समिति की पूर्ण संख्या का 2/3 सदस्यों की सहमति प्रस्ताव के पक्ष में पारित होने पर सम्बन्धित पदाधिकारी को उस पद से अलग कर दिया जायेगा तथा रिक्त स्थान की पूर्ति कार्यकारिणी द्वारा कर ली जायेगी किसी के भी विरूद्ध एक बार अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने पर पुनः 6 माह तक नहीं लाया जा सकेगा।

18. (19) (ए) अनुशासन की कार्यवाही– किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य के विरूद्ध संघ के नियम, उपनियम के उल्लंघन, आदेश, निर्देश की अवज्ञा, संघ की प्रतिष्ठा अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने वाले

आचरण अथवा भष्टाचार के सम्बन्ध में लिखित शिकायत मिलने पर प्रान्तीय महामंत्री अथवा अध्यक्ष द्वारा उस विषय की जांच करायी जायेगी। आरोप सिद्ध होने पर सम्बन्धित सदस्य अथवा पदाधिकारी को संघ की सदस्यता से निलम्बित अथवा पृथक कर दिया जायेगा। विषय की गम्भीरता एवं महत्व के आधार पर प्रान्तीय संघ उपर्युक्त ऐसे सदस्य के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु राज्य सरकार से मांग कर सकता है। संस्था को कोई भी पदाधिकारी 6 माह तक अनवरत प्रोन्नति पद पर कार्यरत रहने की दशा में स्वमेव पदच्युत समझा जायेगा तथा लेखपाल सेवा निवृत्त होने की तिथि तक ही पदाधिकारी रहेगा।

(बी) अन्य कारणों से पद रिक्त के सम्बन्ध में :– किन्हीं अन्य कारणों से पदाधिकारी का पद रिक्त होने की दशा में कार्यकारिणी अपने निर्वाचित पदाधिकारियों में से ही चयन कर लेगी।

19. (19) समितियों के भंग करने के सम्बन्ध में :–

1. जहाँ निर्वाचित शाखा, उप शाखा उ0 प्र0 लेखपाल संघ के विधान तथा नियम उपनियम के अनुकूल आचरण नहीं करती अथवा संस्था नियमों, निर्देशों का पालन नहीं करती अपितु अनुशासनहीनता करती है ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त उ0 प्र0 लेखपाल संघ द्वारा भंग करके नवीन चुनाव कराये जाने की आज्ञा महामंत्री द्वारा दी जायेगी तथा यदि आवश्यकता हो तो दोषी पदाधिकारियों को दण्ड देने की भी कार्यवाही की जा सकेगी।

2. तदर्थ समिति:– किसी उप शाखा, शाखा में विधिवत गठित कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो जाने पर यदि चुनाव एक माह के अन्दर नहीं कराये जाते हैं तो कार्यकारिणी समिति भंग कर दी जायेगी तथा शाखा–उपशाखा में विधिवत गठित कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो जाने पर यदि चुनाव एक माह के अन्दर नहीं कराये जाते हैं तो कार्यकारिणी समिति भंग कर दी जायेगी तथा शाखा–उपशाखा के कार्य संचालन हेतु प्रधान कार्यालय तदर्थ समिति गठित कर सकेगा। जिसमें एक पद संयोजक का होगा। तदर्थ समिति कार्यकाल 6 माह से अधिक नहीं होगा। यदि संयोजक निश्चित अवधि में चुनाव नहीं करा पाते तो महामंत्री द्वारा अपने स्तर से चुनाव कराने की कार्यवाही की जायेगी।

3. संस्था की सभी शाखायें/उप शाखाये अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष 14 नवम्बर को स्थापना दिवस के रूप में मनायेगे।

20. 1. प्रस्ताव– अपवाद एवं आपत्ति–प्रस्ताव उपशाखा, शाखा अपनी बैठकों में कठिनाइयों व समस्याओं के बारे में प्रस्ताव पारित करके उसको क्रमशः परगनाधिकारी, जिलाधिकारी को प्रेषित करेंगे। जिला शाखा के किसी भी प्रस्ताव पर यदि जिला प्रशासन वांछित कार्यवाही नहीं करता तो जिला शाखा उस प्रस्ताव को प्रधान कार्यालय भेजेगा किन्तु उपशाखा को सीधे प्रान्तीय संघ को प्रस्ताव भेजने का अधिकार न होगा। जिले के माध्यम से ही प्रस्ताव भेजे जायेंगे।

2.आपत्तियाँ – शिकायतें :– यदि कोई शिकायत या आपत्ति अध्यक्ष, मंत्री को लिखित रूप से किसी सदस्य की अधिकारी या जनता से प्राप्त होती है तो वह उसकी प्रारम्भिक जांच करायेंगे और किसी भी गम्भीरता को देखकर उसे कार्य समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखेंगे।

3. जिला शाखा, तहसील शाखा के निर्वाचन सम्बन्धी आपत्तियों की सुनवायी पर शपथ से पूर्व प्रेक्षक द्वारा ही अन्तिम निर्णय मान्य होगा।

4. यदि आपत्ति के पश्चात उपस्थित सदस्यों में से 1/5 निर्वाचन के सम्बन्ध में लिखित आपत्ति करते हैं तो प्रान्तीय अध्यक्ष/महामंत्री का निर्णय ही अन्तिम होगा।

5. कोई भी सदस्य उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ से सम्बन्धित विषय में अध्यक्ष उ० प्र० लेखपाल संघ की आज्ञा अथवा उनके ज्ञान में लाये बिना न्यायालय नहीं जा सकता।

21. निर्वाचन विधि–

(अ) सदस्यों को निर्वाचन की सूचना आम एजेण्डा द्वारा कम से कम एक माह पूर्व दी जायेगी जिसमें स्थान, दिनांक, समय का स्पष्ट उल्लेख होगा। तहसील उपशाखा की दशा में सूचना जिला शाखा को दी जायेगी और जिला शाखा के चुनाव की सूचना प्रधान कार्यालय को भेजी जायेगी। क्रमशः जिला शाखा एवं प्रधान कार्यालय बैठक का संचालन एवं सभापतित्व करने अपने प्रेक्षक भेजेंगे जो चुनाव के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। जिला स्तर पर प्रान्तीय प्रेक्षक द्वारा चुनाव को नियमित माना जायेगा।

(ब) प्रेक्षक/निर्वाचन अधिकारी गुप्त मतदान से चुनाव सम्पन्न करायेंगे। गुप्त मतदान की व्यवस्था मतपत्र आदि का उत्तरदायित्व निर्वाचन

अधिकारी पर होगा। तहसील मंत्री उसके निदेशानुसार व्यवस्था करेंगें।

(स) चुनाव में वही सदस्य/यूनिट भाग ले सकेगी जिसका शुल्क बेबाक है। प्रेक्षक चुनाव में निवर्तमान मंत्री से मतदाता सूची प्राप्त करेंगे जिस पर मंत्री एवं अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। मतदाता सूची का प्रकाशन व उस पर आपत्ति का अन्तिम निर्णय चुनाव अधिकारी का ही होगा।

(द) जिला शाखा के निर्वाचन के समय यदि किसी जिले की समस्त उप–शाखाओं का चन्दा बकाया निकलता है और उपस्थिति कोरम से कम है तो निर्वाचन के बजाय कार्य संचालन की दृष्टि से अपने विवेक से योग्य सदस्यों को अस्थाई रूप से 6 माह के लिए संयोजक समिति के रूप में मनोनीत करेंगे, किन्तु शर्त यह होगी कि यह मनोनीत किये जा रहे व्यक्ति संघ के विधिवत सदस्य हों तथा उनके जिम्मे भी संघ का कोई शुल्क बकाया न हो और यह सभी मनोनीत व्यक्ति 6 माह की अवधि में बकाया निकल रही धनराशि को जमा करने का लिखित रूप से वचन दें।

(य) निर्वाचन से पूर्व कार्यरत कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण को त्यागपत्र एवं चार्ज सूची निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। त्यागपत्र व चार्ज न देने के अभाव में निर्वाचन नहीं रोके जाएंगे। चार्ज न देने पर जिम्मेदार पदाधिकारी चुनाव में प्रत्याशी नहीं हो सकेगा तथा न ही मत देने का अधिकारी होगा।

(र) निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाताओं में से ही पदाधिकारियों का नामांकन प्रत्येक पद के लिए प्रत्याशी की सहमति से अलग–अलग कराया जायेगा। नामांकन के समय मतदाताओं में से ही एक प्रस्तावक व एक समर्थक होगा।

(ल) सभी पदों का नामांकन कराने के बाद नाम वापसी के लिए प्रस्तावक या प्रत्याशी दोनों में से कोई भी नाम वापस ले सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्याशी की असहमति की दशा में प्रस्तावक को नाम वापस लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। निर्विरोध न होने की दशा में चुनाव कराया जायेगा। यदि एक समान वोट मिलते हैं तो लॉटरी डालकर निर्णय होगा । एक प्रत्याशी एक से अधिक पदों पर प्रत्याशी नहीं हो सकता।

(व) जिला व तहसील के चुनाव का कार्यकाल 2 वर्ष होगा।

(श) निर्वाचन से क्षुब्ध व्यक्ति की अपील तहसील की दशा में संघ के जिला कार्यालय पर व जिला की दशा में संघ के प्रधान कार्यालय पर की जा सकेगी। अपील की अवधि निर्वाचन तिथि से 30 दिन के अन्दर होगी। अपीलकर्ता को अपील के साथ 100/– रूपये अपील फीस भी जमा करनी होगी।

नोट :– उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए प्रभारी राजस्व निरीक्षक का कार्य कर रहे, लेखपाल पात्र नहीं होंगे। ऐसे लेखपाल संघ का चुनाव तभी लड़ पाने के योग्य होंगे, जब उन्हें प्रभारी राजस्व निरीक्षक का कार्य छोड़े कम से कम 6 माह का समय व्यतीत हो चुका हो। (यथा संशोधित दि. 16 मार्च 2018)

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
उ0 प्र0 लेखपाल संघ

विनोद कश्यप
प्रदेश महामंत्री
उ0 प्र0

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ भवन (न्यास) का संविधान

1. नाम: उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा निर्मित भवन का नाम लेखपाल संघ भवन होगा।

2. उद्देश्य : प्रदेश के सभी संवर्गीय सदस्य जो लेखपाल पद पर कार्यरत/सेवानिवृत्त है, उन्हें प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।

3. कार्यालय : उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का प्रधान कार्यालय संघ भवन में ही रहेगा, जिसका स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा।

4. संचालक मण्डल :लेखपाल संघ की व्यवस्था के लिए संचालक मण्डल का गठन किया जायेगा, जिसमें सभी प्रादेशिक निर्वाचित पदाधिकारी जिनकी संख्या कुल 10 होगी। इसके अतिरिक्त 21000/– (इक्कीस हजार रूपये) या उससे अधिक के संवर्गीय दानदाता संचालक मण्डल के सदस्य होंगे। संचालक मण्डल के सदस्य स्थायी रूप से आजीवन सदस्य रहेंगे।

5. सामान्य सदस्य :

1– लेखपाल संघ के ऐसे कर्मचारी जो उ० प्र० लेखपाल संघ के साधारण सदस्य हैं तथा जिन्होंने लेखपाल संघ के निर्माण में 600/–रू० की सहयोग राशि दी है, वह सामान्य सदस्य माने जायेंगे, जो समयानुसार आम सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है।

2– भविष्य में संवर्ग के ऐसे कर्मचारी जो सेवा में नवनियुक्त होंगे, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की साधारण सदस्यता प्राप्त करने के बाद 200/– रू० जमा करके लेखपाल संघ भवन के साधारण सदस्य बन सकेंगे जो समयानुसार आम सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है।

6. आजीवन सदस्य :

1– संचालक मण्डल के आजीवन प्रतिनिधियों का मनोनयन एक ही बार किया जायेगा, यदि कोई सदस्य भविष्य में 51000/– रूपये (इक्यावन हजार रूपये) या अधिक की सहयोग राशि प्रदान करता है तब वह सदस्य आजीवन सदस्य होगा।

2– उपरोक्त आजीवन सदस्यों को संचालक मण्डल की बैठक में मत देने का अधिकार प्राप्त होंगे, जो संचालक मण्डल के निर्वाचित प्रतिनिधि को प्राप्त होगे।

3– इन प्रतिनिधियों का भवन के लिए सहयोग/अधिकार, पदोन्नति एवं सेवानिवृत्ति से बाधित नहीं होगा।

7. पदाधिकारी : संचालक मण्डल में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष पदाधिकारी रहेंगे।

8. कोष का रख–रखाव :

1– लेखपाल भवन के सहायतार्थ प्राप्त सभी धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोल कर जमा कराया जायेगा।

2– खाते का संचालन प्रदेश के महामंत्री एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

3– आय–व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा कोषाध्यक्ष रखेंगे और बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

4– संचालक मण्डल की स्वीकृति के बिना 25000/– रूपये से अधिक का आहरण नहीं किया जायेगा।

9. कार्यकाल : संचालक मण्डल का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

10. बैठक : 1– संचालक मण्डल की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी जिसमें गत बैठक की समीक्षा एवं भावी कार्य योजना पर विचार किया जायेगा।

2– अपरिहार्य परिस्थितियों में संचालक मण्डल के 2/3 सदस्यों की माँग पर बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

11. अधिकार एवं कर्तव्य :

1– संचालक मण्डल पर भवन के समस्त प्रबन्ध का उत्तरदायित्व रहेगा।

2– भवन को लेखपाल संवर्ग के अतिरिक्त अन्य राज्य सरकार के सेवा संगठन की बैठक एवं विचार–विमर्श हेतु निर्धारित 5100/– रूपये (पाँच हजार एक सौ रूपये) लेकर उपयोग हेतु दिया जा सकेगा, जिसमें :–

(अ) सभागार के उपयोग की अवधि अधिकतम 24 घण्टे की होगी।

(ब) भवन की सफाई उपयोगकर्ता संगठन के द्वारा करायी जायेगी।

(स) उपयोग अवधि के दौरान भवन में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति उपयोगकर्ता द्वारा करानी होगी अथवा देय होगी।

3– भवन को मांगलिक कार्य हेतु उपयोग के लिए सहयोग राशि 11000/– रूपये (ग्यारह हजार रूपये) + सफाई व्यवस्था + विद्युत देय पर दिया जा सकेगा।

4– भवन का उपयोग राजनैतिक एवं सरकारी कार्य हेतु नहीं किया जा

सकेगा।

5– क्रमांक 2 एवं 3 की उपयोग हेतु आवेदक एक सप्ताह पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित धनराशि के साथ अध्यक्ष / महामंत्री / कोषाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करेगा।

6– भवन के रख–रखाव हेतु एक कर्मचारी की नियुक्ति की जा सकती है,उसके वेतन का भुगतान भवन कोष से किया जायेगा।

12. विधान एवं नियमों में संशोधन :

भवन के विधान एवं नियमों में संशोधन भवन समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से किया जा सकेगा।

13. अनुशासन की कार्यवाही :

किसी भी आगन्तुक सदस्य द्वारा भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, अमर्यादित आचरण करने के तथ्य संज्ञान में आने पर महामंत्री द्वारा इसकी जाँच करायी जायेगी, दोष सिद्ध होने पर सदस्यता से निलम्बित एवं वंचित किया जा सकता है तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

14. निर्देश :

1– प्रदेश द्वारा जारी परिचय पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

2– भवन में आगमन पर भवन में उपलब्ध पंजिका पर नाम, पिता का नाम/पता तहसील/जिला/ मो० नं० के साथ अंकित कराना होगा।

3– सेवानिवृत्त सदस्य को जनपदीय/तहसील पदाधिकारी का प्रमाण पत्र या पेन्शन प्रपत्र की छायाप्रति, (जो उनके पूर्व लेखपाल होने का प्रमाण दे सकें) प्रस्तुत करनी होगी।

4– प्रदेश के कार्यरत/सेवानिवृत्त लेखपाल व उनका परिवार प्रदेश के द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर निवास कर सकते हैं।

5– भवन में किसी भी प्रकार का मद्यपान, धूम्रपान, तम्बाकू, गुटखा एवं तामसी भोजन यथा मांसाहार, अण्डा, मछली, मीट आदि बनाना एवं ग्रहण करना वर्जित होगा।

6– निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रदेश महामंत्री को यह अधिकार है कि वैधानिक एवं सुसंगत व्यवस्था के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही कर सकता है।

कृते

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ